

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक .....B/4319...../

जबलपुर, दिनांक २४/०६/२०२३

श्री पुहप सिंह उइके, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को स्वयं का स्वास्थ्य खराब (किडनी एवं टी.वी. की समस्या होने के कारण) चिकित्सीय आधार पर अर्जित अवकाश एवं लघुकृत अवकाश की पात्रता शेष न होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, १९७७ के अवकाश नियम-३१ असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) के अनुसार दिनांक १३.०२.२०२३ से १३.०४.२०२३ तक ६० दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृति एवं दिनांक १४.०४.२०२३ से १६.०४.२०२३ शासकीय अवकाश का लाभ लेते हुए दिनांक १७.०४.२०२३ को कर्त्तव्य पर उपस्थित हो जाने से दिनांक १४.०४.२०२३ से वेतन का भुगतान किये जाने अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार



(रामकुमार चौबे)


३ रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक .....B/4320...../

जबलपुर, दिनांक २४/०६/२०२३

प्रतिलिपि :-

१. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
२. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
३. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
४. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
५. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
६. श्री पुहप सिंह उइके, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(हेमन्त जोशी)

५ प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)